Composite licensing system for manufacturers

2. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether there is a persistent demand to introduce composite licensing system for the manufacturers throughout the country;

(b) whether the penal provision related to weighting are not effective to curb unfair practices; and

(c) if so, the details of the steps Government propose to take to curb unfair practices and to review weights and measures laws?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) The All India Conference on Weights and Measures held in New Delhi recently has recommended adoption of a composite licensing system.

(b) and (c) The penal provisions relating to weighing are effective. However, in order to make them more effective in curbing unfair practices and also to remove other deficiencies revealed in the course of enforcement, the existing laws on weights and measures are being reviewed.

उचित दर की दुकानों पर गेहूं चावल और चीनी के मूल्य

3. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991, 1992 और 1993 के वर्षों में 1 जून को उचित दर दुकानों पर गेहूं, चावल और चीनी के क्या-क्या भाव थे ;

(ख) कीमतों में वृद्धि से सरकार को प्रति वर्ष कितनी अतिरिक्त आय हुई ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दी गई राजसहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) गरीब व्यक्तियों को सस्ती दरों पर घरेलू वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर थोक में चावल और गेहूं मुहैया कराती है। खाद्यान्नों का अंतिम खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा, परिवहन लागत, रख-रखाव प्रभार और अन्य प्रासंगिक खर्चों तथा उचित दर दुकानों के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाता है। चावल और गहूं का अंतिम खुदरा मूल्य भिन्न-भिन्न राज्यों में तथा कभी-कभी एक ही राज्य के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग-अलग होता है। वर्ष 1991 से चावल और गेहूं का केंद्रीय निर्गम मूल्य विवरण में दिया गया है। (**नीचे देखिए**) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली लेवी चीनी का अंतिम खुदरा मूल्य केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार देश भर में एक समान है। वर्ष 1991 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लेवी चीनी का अंतिम खुदरा मूल्य भी अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) और (ग) गेहूं और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि, धान और गहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों और वसूली के बाद के प्रचालनात्मक व्यय में वृद्धि को अंशत: निष्प्रभावित करने के

लिए की गई है। केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करने से भारतीय खाद्य निगम के समस्त खर्चे, वितरण व्यय और सुरक्षित भंडार की धारण लागत पूरी नहीं होती है। केंद्रीय सरकार इस प्रकार, खाद्य राजसहायता की एक बड़ी राशि का भार वहन करती है। वर्ष 1990-91 से भारतीय खाद्य निगम को निर्मुक्त की गई खाद्य राजसहायता की राशि निम्नवत है :-

वर्ष	भुगतान की गई	निर्मुक्त की गई खाद्य राजसहायता
		(रुपए करोड़ में)
1990-91	रु० 2450	(चीनी के लिए 308 करोड़ रुपए की राशि मिलाकर)
1991-92	रु० 2850	
1992-93	रु० 2800	(चीनी के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि मिलाकर)
1993-94	रु० 5537	
1994-95 (बजट अनुमान)	रु० 4000	(आज तक 1349 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त)

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का प्रत्येक माह थोक में आवंटन किया जाता है और ऐसा करते समय केंद्रीय पूल में स्टॉक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं, मौसमजन्य कारकों इत्यादि का ध्यान में रखा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इसका प्रयोजन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले खण्डों में रहने वाली आबादी को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्य, सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्यों से 50 रुपए प्रति क्विंटल कम होते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह भी दी गई है कि इन क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के अंतिम खुदरा मूल्य संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए जारी खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्य से 25 पैसे प्रति कि.ग्रा. से अधिक न हों।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं और चीनी के केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

वस्तु	निम्न तारीख से प्रभावी	कॉमन		फाईन		सुपर फाईन	
		सा.वि.प्र.	सं.सा.वि.प्र.	सा.वि.प्र.	सं.सा.वि.प्र.	सा.वि.प्र.	सं.सा.वि.प्र.
चावल	25-06-90	289	239	349	299	370	320

1	2	3	4	5	6	7	8
	28-12-91	377	327	437	387	458	408
	11-01-93	437	387	497	447	518	468
	01-02-94	537	487	617	567	648	598

		सा.वि.प्र.	सं.सा.वि.प्र.
गेहूं	01-05-90	234	184
	28-12-91	280	230
	11-01-93	330	280
	01-02-94	402	352

(रु० प्रति कि.ग्रा.)

चीनी	01-01-89	5.25
	24-07-91	6.10
	27-01-92	6.90
	17-02-93	8.30
	01-02-94	9.05

वर्ष 1990 और 1991 में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दर्शाए गए खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों से संबंधित हैं।

सा.वि.प्र.—सार्वजनिक वितरण प्रणाली
सं.सा.वि.प्र.—संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली

Corruption in Suptr Babar

4. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that corruption is rampant in the selection of suppliers, release of payments to the suppliers, placement of orders on the suppliers, non-publication of tenders in the leading newspapers for making local purchases in huge quantities for Super Bazar;

(b) if so, what is the number of complaints received in regard to the above by Government and the action taken thereon;

(c) whether the Super Bazar is giving preferential payment terms to 4-5 suppliers out of the thousands of suppliers; and

(d) if so, what are the reasons and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Super Bazar has reported that no preferential treatment is given to any of the suppliers. However, in a couple of cases, where suppliers have conceded an additional discount over and above the terms already settled with them, payment to them is proportionately advanced.